न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 49 / 2022

तारीख फैसला 9.09.2023

उनवान

1– अनुपम जोशी उर्फ अक्षय कुमार पुत्र श्री रामनारायण जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास 23 / 250 लाल भेरूपाडा, सरायकायथान पाटनपोल कोटा जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादी की ओर से – श्री प्रमौद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व उसके भ्राता अनिल कुमार सहखातेदार के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 350 की 1.33 हेकटर, खसरा नम्बर 400 की 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 की 1.34 हेक्टर कुल 5 किता की 4.77 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अक्षय कुमार दर्ज है। जबकि वादी का नाम अनुपम जोशी है। उक्त भूमि वादी व सहखातेदार भ्राता अनिल कुमार को वादी के पिता रामनारायण जी की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है। उस समय वादी व उसका भ्राता नाबालिग थे जो जरिये वली माता रतन बाई दर्ज हुये। वादी के शिक्षा संबंधी , समस्त अंक तालिका व प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, नोकरी में , मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम अनुपम जोशी अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बचपन में वादी का नाम अक्षय कुमार अंकित हो गया है। इस कारण वादी को परेशानी हो रही है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अक्षय कुमार के स्थान पर अनुपम जोशी अंकित किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अक्षय कुमार के स्थान पर अनुपम जोशी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 03.04.2024 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 3.04.2022 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिये जाने से वाद उत्पन्न हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे किः– ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 350 की 1.33 हेकटर, खसरा नम्बर 400 की 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 की 1.34 हेक्टर कुल 5 किता की 4.77 हेक्टर भूमि में वादी का नाम अक्षय

कुमार के स्थान पर अनुपम जोशी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी परोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का ग्राम धोरी कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम धोरी की जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 अनुसार अक्षय कुमार, अनिल कुमार पुत्र रामनारायण हिस्सा बराबर जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 350 की रकबा 1.33 हे0, खसरा नम्बर 400 की रकबा 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 की रकबा 0.63 हे0, खसरा नमबर 412 की रकवा 0.22 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 815 की रकबा 1.34 हेक्टर कुल किता 5 की रकवा 4.77 हेक्टर, भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त समस्त खसरा नम्बरान पर अक्षय कुमार पुत्र रामनारायण का हि0 1/2 है। उक्त खातेदार के नाम के संबंध में ग्राम धोरी में जानकारी की गई, ग्रामवासियान द्वारा उक्त नाम के व्यक्ति का निवास स्थान धोरी में नही होना बताया गया है। उक्त खातेदार के नाम की पुष्टि नही हो पायी है। उपस्थित व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी अनुसार वादी अक्षय कुमार उर्फ अनुपम जोशी का निवास स्थान पाटनपोल कोटा होना पाया गया है।

4. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 350 की 1.33 हेकटर, खसरा नम्बर 400 की 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 की 1.34 हेक्टर कुल 5 किता की 4.77 हेक्टर भूमि वादी का नाम वोटर आई डी , आधार कार्ड, कार्मिक की आई डी, चरित्र प्रमाण पत्र, न्यायालय नगर दण्डनायक, कोटा का प्रमाण पत्र दिनांक 06.07.1979, जमाबन्दी ग्राम धोरी सम्वत 2073—2076 शिक्षा विभाग के समस्त रिकार्ड में अनुपम जोशी पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अक्षय कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण के स्थान पर अनुपम जोशी पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण अंकित किया जाना आवश्यक है।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान पी डब्ल्यु 1 अनिल जोशी, पी डब्ल्यु 2 प्रभूलाल मेघवाल, व पी डब्ल्यु 3 हरिशंकर धाकड के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम धोरी की जमाबन्दी सम्वत 2073—2076, वोटर आई डी , आधार कार्ड, कार्मिक की आई डी, चरित्र प्रमाण पत्र, न्यायालय नगर दण्डनायक, कोटा का प्रमाण पत्र दिनांक 06.07.1979, एवं शिक्षा विभाग के समस्त रिकार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया एवं पत्रावली की आदेशिका में वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अक्षय कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण के स्थान पर अनुपम जोशी पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण

दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 350 की 1.33 हेकटर, खसरा नम्बर 400 की 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 409 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 की 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 की 1.34 हेक्टर कुल 5 किता की 4.77 हेक्टर भूमि में वादी का नाम अक्षय कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण के स्थान पर अनुपम जोशी पुत्र रामनारायण जाति ब्राहम्ण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)